

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर



समस्त मान्यता प्राप्त संस्थाओं/प्राचार्यों
हेतु
प्रवेश एवं परीक्षा संबंधी मार्गदर्शिका तथा
ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के निर्देश
परीक्षा वर्ष 2026-27

website - www.cgbse.nic.in



छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर

दूरभाष : 0771 - 2437309, 2422425, फ़ैक्स : 0771 - 2429385

क्रमांक/2461 /समन्वय/विद्यो./2026-27

रायपुर दिनांक : 15/06/2026

प्रवेश संबंधी नियम एवं निर्देश

शैक्षणिक सत्र 2026-27 हेतु मण्डल की समस्त मान्यता प्राप्त संस्थाओं के लिये प्रवेश संबंधी नियम एवं निर्देश निम्नानुसार हैं :-

कक्षा 09वीं से 12वीं तक प्रवेश दिनांक 16 जून 2026 से प्रारंभ होगा एवं प्रवेश की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 तक निर्धारित की गई है। इस तिथि तक समस्त औपचारिकताएं अनिवार्यतः पूर्ण कर ली जाय। कृपया इस बात से अवगत हो कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस बात पर आपत्ति दर्ज की गई है, कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर द्वारा जारी निर्देशों की अवहेलना कर कुछ संस्थाओं द्वारा अपात्र छात्र/छात्राओं को प्रवेश दे दिया जाता है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर द्वारा जारी निर्देशों का पूर्णतः पालन करने के पश्चात् ही प्रवेश दिया जायें। प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकार की कठिनाईयां उत्पन्न होने पर अपने जिले से संबंधित संभागीय कार्यालय/मण्डल मुख्यालय स्थित परीक्षा कक्ष से समस्या संबंधी निराकरण हेतु संपर्क करें।

मण्डल सचिव की अनुमति से दिनांक 17 अगस्त 2026 तक प्रवेश दिया जा सकेगा। इसके पश्चात् किसी प्रकार के प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। हाईस्कूल के परीक्षा परिणाम के पश्चात् जो छात्र उत्तीर्ण होंगे वे अगली कक्षा में नियमित प्रवेश हेतु पात्र होंगे। मुख्य परीक्षा में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों के नाम उसी कक्षा में ही दर्ज किया जाय। द्वितीय मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण होने पर पात्रतानुसार कक्षा में प्रवेश स्थानान्तरित किया जावेगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल की हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी द्वितीय मुख्य परीक्षा परिणाम की घोषणा दिनांक से 10 दिवस की समय-सीमा में प्रवेश दिया जा सकेगा। तिथि की सूचना समस्त मान्यता प्राप्त संस्थाओं के पोर्टल एवं SMS के माध्यम से उपलब्ध कराई जावेगी।

- 1) समस्त मान्यता प्राप्त शासकीय एवं अशासकीय संस्था प्राचार्य का उत्तरदायित्व होगा, कि कक्षा 9वीं से 12वीं में प्रवेश देने के समय पर ही छात्र/छात्राओं के दस्तावेजों की जांच पूर्व में ही कर लेवें, इसके पश्चात् ही छात्र/छात्राओं को नियमित प्रवेश दें। कक्षा 10वीं एवं 12वीं के परीक्षा आवेदन पत्रों की स्कूटनी (जांच) करने पर छात्र/छात्रा अपात्र पाये जाने की दशा पर परीक्षा आवेदन पत्र निरस्त (अमान्य) कर दिया जावेगा, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व संस्था प्राचार्य का होगा। अपात्र छात्र/छात्राओं को प्रवेश देने पर संस्था प्राचार्य के विरुद्ध कार्यवाही किया जावेगा।

- 2)** शैक्षणिक सत्र 2025-26 कक्षा 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा में सम्मिलित होकर एक या एक से अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण ऐसे परीक्षार्थियों को मण्डल द्वारा प्रवेश की निर्धारित तिथि (16 जून से 31 जुलाई 2026 तक) अगामी कक्षा में अस्थायी प्रवेश लेना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित तिथि तक प्रवेश नहीं लेने पर प्रवेश हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करते हैं, तो ऐसे आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा। संस्था द्वारा अपने संस्था में अध्ययनरत् नियमित छात्र/छात्राओं को भलीभांति अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।
- 3)** स्थानांतरण प्रकरण :- शासकीय सेवक (राज्य एवं केन्द्र) के स्थानांतरण की स्थिति में उनके बच्चों को हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी में प्रवेश दिया जा सकेगा, परंतु इसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2026 होगी। अन्य बोर्ड से प्रवेश लेने वाले छात्र/छात्राओं को ग्राह्यता (माइग्रेसन) की कार्यवाही पूर्ण करना अनिवार्य होगा।
- 4)** अतिरिक्त प्रवेश :- कक्षा 9वीं एवं 11वीं में विद्यालय की अधोसंरचना एवं स्टाफ की उपलब्धता के आधार पर संख्या निर्धारित करते हुये नवीन प्रवेश दिया जा सकता है, परंतु कक्षा 10वीं एवं 12वीं में प्रवेश हेतु निम्न सावधानी रखें :-
- (I) कक्षा 10वीं एवं 12वीं में स्थानांतरण प्रकरणों को छोड़कर शेष प्रकरणों में 10 प्रतिशत का अतिरिक्त प्रवेश दिए जाने का प्रावधान है। उदाहरणार्थ - किसी संस्था में कक्षा 9वीं में उत्तीर्ण 30 छात्र/छात्रा, कक्षा 10वीं में अनुत्तीर्ण 15 छात्र/छात्रा तथा श्रेणी सुधार के 5 छात्र/छात्रा हैं। इस प्रकार कुल 50 छात्र/छात्रों का 10 प्रतिशत 05 होता है अर्थात् अधिकतम 05 छात्र/छात्रों को ही प्राचार्य द्वारा बिना मण्डल की अनुमति के अतिरिक्त प्रवेश दिया जा सकता है। ऐसी संस्थायें जहाँ कक्षा 10वीं एवं 12वीं में छात्र संख्या 45 से कम हैं तो ऐसी परिस्थिति में कक्षा 10वीं एवं 12वीं में 45 छात्र संख्या तक प्रवेश हेतु उपरोक्त नियम 10% वृद्धि में शिथिलता रहेगी। 45 से अधिक छात्र संख्या होने पर 10% छात्र/छात्राओं को प्रवेश दिया जा सकता है।
- (II) यदि संस्था के प्राचार्य 10% से अधिक अतिरिक्त प्रवेश देना चाहते हैं तो आवश्यकतानुसार भवन विस्तार, शिक्षक, स्टाफ, फर्नीचर आदि की पर्याप्त व्यवस्था कर के स्कूल भवन का नक्शा एवं फोटो संबंधित अनुविभागीय अधिकारी से अभिप्रमाणित कराकर निर्धारित प्रपत्र में मण्डल कार्यालय को आवेदन प्रस्तुत करें तथा मण्डल कार्यालय द्वारा अनुमति दिये जाने पर ही अतिरिक्त प्रवेश दिया जा सकेगा। यदि असाधारण रूप से अधिक प्रवेश की अनुमति मांगी जाती है तो यह मण्डल द्वारा जाँच के उपरांत निर्णय लिया जायेगा।
- उपरोक्त नियम का कड़ाई से पालन किया जाय। नियम विरुद्ध प्रवेश दिये जाने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।
- (III) प्रवेश नीति के विपरीत अथवा अपात्र छात्रों को प्रवेश देने पर छात्रों का प्रवेश निरस्त किया जावेगा शासकीय संस्थाओं के प्राचार्यों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही एवं अशासकीय संस्थाओं की मान्यता समाप्ति हेतु प्रस्तावित किया जावेगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व संस्था/संस्था प्रमुख का होगा।

टीप:-प्रवेश संबंधी समस्त प्रक्रिया संबंधित संस्था द्वारा किया जावे । किसी भी स्थिति में छात्र/पालक को प्रवेश की अनुमति हेतु मण्डल कार्यालय न भेजें ।

5) क्रेडिट योजना (अवसर परीक्षा) के छात्रों हेतु प्रवेश प्रावधान :-

जो परीक्षार्थी द्वितीय मुख्य परीक्षा के पश्चात् कुछ विषयों में अनुत्तीर्ण रह जाते हैं तो उन्हें आगामी वर्ष की मुख्य एवं द्वितीय मुख्य परीक्षा में वर्तमान नियमों के अनुसार तृतीय एवं चतुर्थ अवसर का लाभ प्राप्त होगा ।

क्रेडिट योजना के अंतर्गत उत्तीर्ण होने पर अगली कक्षा में नियमानुसार नियमित प्रवेश ले सकेगा तथा प्रथम बार अनुत्तीर्ण होने पर उसी कक्षा में नियमानुसार नियमित प्रवेश ले सकेगा ।

6) अन्य राज्यों के बोर्ड/अन्य बोर्ड के छात्रों हेतु प्रवेश प्रावधान :-

अन्य राज्यों के बोर्ड/अन्य बोर्ड जिन्हें मण्डल विनियम के अनुसार हाईस्कूल हेतु समकक्षता प्रदान की गयी है, उन बोर्ड के हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी परीक्षा में प्रथम बार अनुत्तीर्ण छात्रों को मण्डल की हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी कक्षा में प्रवेश की पात्रता होगी, लेकिन उन्हें ग्राह्यता संबंधी समस्त प्रक्रिया की ऑनलाईन कार्यवाही अनिवार्यतः पूर्ण करनी होगी । ऑनलाईन कार्यवाही उपरांत ग्राह्यता आवेदन पत्र के साथ मूल दस्तावेज एवं प्रमाणित छायाप्रति अपने जिले से संबंधित संभागीय कार्यालय एवं रायपुर संभाग से संबंधित मण्डल मुख्यालय स्थित परीक्षा कक्ष में जमा करना अनिवार्य होगा ।

7) ग्राह्यता प्रक्रिया :-

- छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल से समकक्षता प्राप्त केन्द्रीय बोर्ड या अन्य राज्यों के बोर्डों के विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु नियमानुसार ग्राह्यता की कार्यवाही पूर्ण करना आवश्यक है, ऐसे सभी छात्रों से घोषणा पत्र प्राप्त कर अस्थायी प्रवेश की कार्यवाही करें एवं ग्राह्यता संबंधी समस्त प्रक्रिया, शुल्क भुगतान निर्धारित समय-सीमा में अनिवार्यतः पूर्ण करें । किसी भी स्थिति में छात्र या पालक को ग्राह्यता हेतु मण्डल में न भेजें ।
- ग्राह्यता हेतु परीक्षार्थी की मूल टी. सी., मूल माईग्रेशन सर्टिफिकेट एवं मूल अंकसूची के साथ समस्त दस्तावेजों की प्राचार्य से प्रमाणित छायाप्रति भी प्राप्त की जाये । समस्त प्रक्रियाओं हेतु तिथिवार विवरण निम्नानुसार है :-

नियमित परीक्षार्थियों के लिये निर्धारित तिथि		
क्र.	प्रक्रिया का नाम	अंतिम तिथि
(1)	संस्थाओं की जानकारी/शिक्षकों की जानकारी/संस्थाओं से नियमित छात्रों की प्रवेश सूची/परीक्षा आवेदन फार्म/नामांकन फार्म/ग्राह्यता प्रकरणों को Online Portal में प्रविष्टी करने की तिथि	16.06.2026 से 31.08.2026 तक

(2)	ग्राह्यता संबंधी Online प्रक्रिया तथा शुल्क जमा करने की तिथि	16.06.2026 से 31.08.2026 तक
(3)	संस्था में प्रवेशित छात्रों की Online पोर्टल में प्रविष्टि की अंतिम तिथि (आपकी संस्था में उपलब्ध अभिलेख के अनुसार प्रविष्टि करें)	16.06.2026 से 31.08.2026 तक
(4)	संबंधित संस्थाओं से ग्राह्यता प्रकरण अपने जिले के संभागीय कार्यालय एवं रायपुर संभाग के मुख्यालय परीक्षा कक्ष में जमा करने की अंतिम तिथि	16.06.2026 से 10.09.2026 तक
(5)	निर्धारित तिथि के पश्चात् ग्राह्यता संबंधी प्रपत्र/मूलदस्तावेज जमा करने पर विशेष विलंब शुल्क प्रति परीक्षा 2,000/- रूपये की दर से पृथक से देय होगा। विलंब शुल्क, बैंक चालान, डेबिट कार्ड स्वाईप के माध्यम से देय होगा।	11.09.2026 से 21.09.2026 तक
(6)	संभागीय कार्यालय/मण्डल मुख्यालय, रायपुर स्थित परीक्षा कक्ष द्वारा ग्राह्यता संबंधी प्रकरणों के निराकरण पश्चात् ग्राह्यता/नामांकन जारी करने की तिथि	25.09.2026
(7)	प्रवेशित छात्रों के परीक्षा आवेदन पत्र शुल्क एवं परीक्षा शुल्क ऑनलाईन जमा करने की अंतिम तिथि	30.09.2026
(8)	परीक्षा आवेदन पत्र एवं चेकलिस्ट जिले से संबंधित संभागीय कार्यालय/मण्डल मुख्यालय, रायपुर स्थित परीक्षा कक्ष में जमा करने की अंतिम तिथि	पृथक से तिथि जारी की जावेगी
(9)	शैक्षणिक सत्र 2026-27 से कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं एवं 12वीं की परीक्षाओं में सम्मिलित हो रहे विद्यार्थियों का अपार आई.डी. अंकित करना अनिवार्य होगा।	
(10)	समस्त मान्यता प्राप्त संस्थाएँ संस्था में अध्ययनरत् कक्षा 9वीं से 12वीं तक नियमित परीक्षार्थियों की ऑनलाईन प्रविष्टि करते समय विशेष ध्यान रखा जावे कक्षा 10वीं एवं 12वीं के विषय संशोधन माह 31 दिसंबर के पश्चात् मान्य नहीं किये जावेंगे। त्रुटिपूर्ति प्रविष्टि करने पर समस्त उत्तरदायित्व संस्था/संस्था प्राचार्य का होगा।	

टीप:- मण्डल द्वारा जिन परीक्षार्थियों की ग्राह्यता/नामांकन जारी की जा चुकी है, उनके परीक्षा शुल्क का भुगतान 30/09/2026 तक अनिवार्य रूप से किया जाना सुनिश्चित करें।

स्वाध्यायी परीक्षार्थियों के लिये निर्धारित तिथि		
(1)	पोर्टल प्रारंभ होने की तिथि सामान्य शुल्क के साथ	15.09.2026 से 12.10.2026 तक
(2)	परीक्षा शुल्क + विलंब शुल्क 1,000/- रुपये प्रति छात्र के साथ	13.10.2026 से 22.10.2026 तक
(3)	परीक्षा शुल्क + विशेष विलंब शुल्क 2,000/- रुपये प्रति छात्र के साथ	23.10.2026 से 30.10.2026 तक
(4)	संस्था द्वारा स्वाध्यायी छात्रों के परीक्षा आवेदन पत्र शुल्क एवं परीक्षा शुल्क ऑनलाईन जमा करने की तिथि	31.10.2026 से 07.11.2026 तक
(5)	परीक्षा आवेदन पत्र (मण्डल कार्यालय में जमा करने की अंतिम तिथि)	16.11.2026
(6)	समस्त मान्यता प्राप्त संस्थाएँ कक्षा 10वीं एवं 12वीं स्वाध्यायी परीक्षार्थियों के परीक्षा आवेदन पत्रों की ऑनलाईन प्रविष्टी करते समय विशेष ध्यान रखा जावे कि कक्षा 10वीं एवं 12वीं के विषय संशोधन माह 31 दिसंबर के पश्चात् मान्य नहीं किये जावेंगे । त्रुटिपूर्ति प्रविष्टी करने पर समस्त उत्तरदायित्व अग्रेषण संस्था/ संस्था प्राचार्य का होगा ।	

नोट:- पोर्टल लॉक करने के पूर्व समस्त की गई प्रविष्टियों की पुष्टि की जावें, अन्यथा किसी भी प्रकार के संशोधन/प्रविष्टि हेतु पुनः पोर्टल खोले जाने हेतु मण्डल आदेश क्रमांक/331/डाटा/2025, रायपुर दिनांक 07/05/2025 अनुसार प्रतिदिवस 1,000/- रुपये की दर से विलंब शुल्क लागू होगा ।

(5) अधिकतम आयु सीमा :-

मण्डल के स्वाध्यायी/क्रेडिट योजना से हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों को कक्षा 11वीं में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी, किन्तु इसकी अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष होगी ।

प्रवेश की अन्य शर्तें
कक्षा 9वीं तथा 11वीं हेतु

कक्षा 9वीं :-

कक्षा 9वीं में पंजीयन प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाईन होगी। कक्षा 8वीं उत्तीर्ण छात्रों को पात्रतानुसार निर्धारित तिथि तक कक्षा 9वीं में नियमित प्रवेश दिया जावेगा। छात्रों को बीच सत्र में प्रवेश की पात्रता नियमानुसार होगी।

नामांकन :-

मण्डल विनियम क्रमांक: 128 के तहत समस्त नवीन प्रवेश प्राप्त विद्यार्थियों का मण्डल में नामांकन कराया जाना अनिवार्य है, इसके अभाव में वे मण्डल की किसी भी परीक्षा में बैठने के लिये अपात्र होंगे।

सत्र 2026-27 हेतु मण्डल की समस्त मान्यता प्राप्त संस्थाओं में कक्षा 9वीं में प्रविष्ट छात्रों का नामांकन किया जाना आवश्यक है। ऐसे सभी छात्र जिन्होंने सत्र 2026-27 में कक्षा 9वीं में प्रवेश लिया है, उनकी प्रवेश प्रक्रिया हेतु संस्था द्वारा मण्डल की वेबसाइट www.vidia.cgbse.nic.in में ऑनलाईन नामांकन फार्म भरना आवश्यक होगा। नामांकन प्रक्रिया दिनांक 31 अगस्त 2026 तक पूर्ण करें।

मण्डल में एक बार नामांकन होने के पश्चात् किसी भी परिस्थिति में छात्र से दोबारा नामांकन शुल्क नहीं लिया जायेगा।

शैक्षणिक सत्र 2026-27 में केवल वर्ष 2024-25 एवं सत्र 2025-26 के 8वीं उत्तीर्ण तथा वर्ष 2025-26 के कक्षा 9वीं में प्रथम बार अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को ही कक्षा 9वीं में प्रवेश की पात्रता होगी।

कक्षा 11वीं :-

शैक्षणिक सत्र 2026-27 में केवल सत्र 2024-25 एवं सत्र 2025-26 के इस बोर्ड अथवा मण्डल की समकक्षता/मान्यता प्राप्त अन्य बोर्ड से हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण (कक्षा 10वीं) तथा सत्र 2025-26 के कक्षा 11वीं में प्रथम बार अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को ही कक्षा 11वीं में प्रवेश की पात्रता होगी। कक्षा 11वीं में निर्धारित तिथि तक प्रवेश दिया जा सकेगा।

प्रवेश की अन्य शर्तें
कक्षा 10वीं एवं
कक्षा 12वीं हेतु

कक्षा 10वीं एवं 12वीं में नियमित रूप से निम्नलिखित परीक्षार्थी को प्रवेश दिया जा सकेगा :-

- (I) ऐसे परीक्षार्थी जिन्होंने कक्षा 9वीं एवं 11वीं की परीक्षा वर्ष 2025 एवं वर्ष 2026 में उत्तीर्ण की है वे अगली कक्षा में प्रवेश हेतु पात्र होंगे ।
- (II) कक्षा 10वीं एवं कक्षा 12वीं की परीक्षा वर्ष 2026 में नियमित रूप से सम्मिलित हुये ऐसे परीक्षार्थी जो प्रथम बार उक्त परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहे हों उन्हें उसी कक्षा में पुनः प्रवेश दिया जा सकेगा ।
- (III) सत्र 2024-25 की कक्षा 8वीं, कक्षा 9वीं, कक्षा 10वीं एवं कक्षा 11वीं की परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए ऐसे परीक्षार्थी जो किसी कारणवश शैक्षणिक सत्र 2025-26 में हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सके हों अर्थात् उनका एक वर्ष का अन्तराल (GAP) आया हो, ऐसे परीक्षार्थी एक वर्ष अंतराल (GAP) का शपथ-पत्र प्रस्तुत कर सत्र 2026-27 में अगली कक्षा में प्रवेश के लिए पात्र होंगे ।
- (IV) मण्डल की कक्षा 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा वर्ष 2025 या 2026 में सम्मिलित ऐसे परीक्षार्थी जो उत्तीर्ण तो हो गये हैं, किन्तु श्रेणी सुधार की परीक्षा देना चाहते हैं, तो ऐसे छात्रों को नियमित प्रवेश दिया जा सकेगा, किन्तु जो छात्र वर्ष 2025 के पूर्व के वर्षों में 10वीं या 12वीं परीक्षा में उत्तीर्ण हुए है वे श्रेणी सुधार परीक्षा हेतु पात्र नहीं होंगे । इस योजना में केवल एक अवसर ही मिलेगा । श्रेणी सुधार में विषय/संकाय परिवर्तन मान्य नहीं है तथा वर्ष 2025 के परीक्षार्थियों को एक वर्ष अंतराल (GAP) का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा ।
- (V) जो परीक्षार्थी द्वितीय मुख्य परीक्षा में विषय/विषयों में अंक सुधार के लिये सम्मिलित होते हैं और अंक सुधार कर लेते हैं या अंकों में सुधार नहीं होता है तो ऐसे परीक्षार्थी पात्रता के आधार पर नियमानुसार श्रेणी सुधार के लिये पात्र होंगे ।
- (VI) अन्य बोर्ड से उत्तीर्ण यदि कोई छात्र आपकी संस्था में कक्षा 12वीं में प्रवेश लेता है तो छात्र की 10वीं बोर्ड की अंकसूची का सत्यापन संबंधित बोर्ड से कराया जाना आवश्यक है । किसी भी परिस्थिति में गलत पाये जाने पर संपूर्ण जवाबदारी संबंधित संस्था के प्राचार्य की होगी ।

नोट:—(क) दो वर्ष या उससे अधिक एक ही कक्षा में लगातार अनुत्तीर्ण होने पर अथवा एक वर्ष से अधिक का अंतराल (**GAP**) होने पर विद्यार्थी को नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी, ऐसे छात्र केवल स्वाध्यायी परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे ।

(ख) एक ही कक्षा में 01 वर्ष का अनुत्तीर्ण एवं 01 वर्ष में अंतराल (**GAP**) होने पर विद्यार्थी को नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी, ऐसे छात्र केवल स्वाध्यायी परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे ।

हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी में पात्रता के अभाव में निरस्त/संस्था में उपस्थिति (75%) से कम होने पर परीक्षा आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा । ऐसे छात्र/छात्रा के द्वारा परीक्षा शुल्क के अन्तर की राशि एवं घोषणा पत्र जमा करने पर स्वाध्यायी परीक्षार्थी के रूप में मुख्य परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं ।

विषय/संकाय परिवर्तन :-

किसी भी संकाय से कक्षा 11वीं उत्तीर्ण तथा कक्षा 12वीं प्रथम बार अनुत्तीर्ण विद्यार्थी को कक्षा 12वीं में प्रवेश हेतु विषय परिवर्तन/संकाय परिवर्तन की पात्रता निम्नानुसार होगी :-

- I. विज्ञान संकाय का छात्र विषय परिवर्तन (जीवविज्ञान अथवा गणित)/किसी भी संकाय में संकाय परिवर्तन कर सकता है ।
- II. वाणिज्य संकाय का छात्र वाणिज्य संकाय में ही विषय परिवर्तन कर सकता है अथवा विज्ञान संकाय को छोड़कर किसी भी संकाय में संकाय परिवर्तन कर सकता है ।
- III. कला संकाय का छात्र कला संकाय में ही विषय परिवर्तन कर सकता है, इसके अतिरिक्त कृषि संकाय, गृहविज्ञान संकाय में संकाय परिवर्तन कर सकता है ।
- IV. कृषि संकाय का छात्र कला संकाय, गृहविज्ञान संकाय में संकाय परिवर्तन कर सकता है ।
- V. गृहविज्ञान संकाय का छात्र कला संकाय, कृषि संकाय में संकाय परिवर्तन कर सकता है ।

टीप :- (I) विषय परिवर्तन/संकाय परिवर्तन/माध्यम परिवर्तन हेतु नियमानुसार निर्धारित शुल्क देय होगा । (मण्डल आदेश क्रमांक/2789/प.स./2021, रायपुर दिनांक 28/12/2021)

(II) श्रेणी सुधार के विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार से विषय/संकाय परिवर्तन की पात्रता नहीं होगी ।

(III) वैकल्पिक विषय का चयन कक्षा 11वीं में किया जाना अनिवार्य हैं ।

मण्डल के द्वारा निम्नानुसार महत्वपूर्ण आदेश जारी किये गये हैं जो मण्डल की वेबसाईट www.cgbse.nic.in पर उपलब्ध हैं । अतः प्रवेश प्रक्रिया के पूर्व निम्नलिखित आदेशों का भली-भांति अवलोकन कर परिपालन सुनिश्चित करें ।

- दिव्यांग विद्यार्थियों के हेतु मण्डल की वेबसाईट www.cgbse.nic.in पर अपलोड किये गये आदेश क्रमांक 4061/दिव्यांग परी. सुवि/दिनांक 08.07.2022 का अवलोकन करें ।

**परीक्षा संबंधी
निर्देश**

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर के समस्त मान्यता प्राप्त शासकीय/अशासकीय संस्थाओं हेतु परीक्षा संबंधी नियम निर्देश निम्नानुसार है :-

- 1) वर्ष 2026-27 के हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी परीक्षाओं हेतु प्रवेश संबंधी समस्त आवश्यक प्रविष्टियाँ निर्धारित तिथि एवं समय-सीमा में पूर्ण की जावे ।
- 2) मण्डल द्वारा लिये जाने वाले समस्त शुल्कों का भुगतान Netbanking/RTGS/UPI/E-Challan/Debit Card/Credit Card के माध्यम से आनलाईन किया जाना होगा ।
- 3) छात्र/छात्राओं की संस्था में उपस्थिति - हाईस्कूल (IX एवं X), हायर सेकण्डरी (XI एवं XII) की मुख्य (वार्षिक) परीक्षाओं में सम्मिलित होने हेतु नियमित छात्र की सामान्यतः 75% न्यूनतम उपस्थिति अनिवार्य है । विशेष परिस्थिति में मण्डल द्वारा उपस्थिति में 10% की छूट दी जा सकेगी । उपस्थिति में छूट हेतु प्राचार्य अनुशंसा सहित आवेदन पत्र मण्डल कार्यालय को दिनांक 15/12/2026 तक अवश्य प्रेषित करें ।

हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी में पात्रता के अभाव में निरस्त/संस्था में उपस्थिति (75%) से कम होने पर परीक्षा आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा । ऐसे परीक्षार्थी परीक्षा शुल्क के अंतर की राशि एवं घोषणा पत्र जमा करने पर स्वाध्यायी परीक्षार्थी के रूप में मुख्य परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं ।

- 4) अध्ययन - अध्यापन - कक्षा 9वीं से 12वीं तक के मण्डल वेबसाईट पर अपलोड पाठ्यक्रम/अध्यापन/परीक्षा योजना अनुरूप अध्यापन सुनिश्चित किया जावे। विषयों का चुनाव निर्धारित पाठ्यक्रम अनुरूप किया जाये । प्रत्येक कक्षा एवं विषय के निर्धारित पाठ्यक्रम अनुरूप समय-सीमा में अध्यापन की वैधानिक एवं नैतिक जिम्मेदारी संस्था प्रमुख की होगी ।
- 5) विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धियों के आकलन एवं पाठ्यक्रम को समय-सीमा में पूर्ण करें । मण्डल की मान्यता प्राप्त विद्यालयों की वैधानिक बाध्यता है कि वे मण्डल के पाठ्यक्रम, अध्यापन योजना/परीक्षा योजना का अनुकूलन करें । विद्यालयों में प्रायोगिक/प्रायोजना कार्य का निश्चित कालखण्ड/नियमित संचालन सुनिश्चित करें । मण्डल द्वारा आकस्मिक निरीक्षण के दौरान अनियमितताएँ पाये जाने पर ऐसी संस्थाओं पर मान्यता विनियम के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जावेगी ।
- 6) विद्यालयीन परीक्षाएँ - छात्रों के शैक्षणिक गुणवत्ता के आकलन एवं समय-सीमा में पाठ्यक्रम की पूर्णता सुनिश्चित करने हेतु ली जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं (IX से XII)/स्थानीय परीक्षाओं (IX एवं XI) /प्री-बोर्ड परीक्षाओं (X एवं XII) में मण्डल की अध्यापन परीक्षा योजना, ब्लूप्रिंट अनुसार ही प्रश्नपत्र को सेंटिंग की जावे ताकि विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने में सुविधा हो । यहाँ उल्लेखनीय है कि मण्डल द्वारा प्री-बोर्ड परीक्षाओं हेतु किसी प्रकार का व्यय देय नहीं होगा ।

7) अकादमिक स्टॉफ संबंधी जानकारी की प्रविष्टि – प्रत्येक संस्था के प्राचार्य सहित समस्त अकादमिक स्टाफ की आनलाईन प्रविष्टि **Teacher's Information Entry** अनिवार्यतः निर्धारित तिथि तक अवश्य पूर्ण की जावे एवं समय-समय पर अद्यतन (अपडेट) की जावें। उक्त जानकारी समय में उपलब्ध न कराने पर विद्यालय की प्रवेश सूची परीक्षा/परीक्षा आवेदन अस्वीकार किये जा सकते हैं। संस्था/प्राचार्य तथा शैक्षणिक स्टाफ के आनलाईन भुगतान, हस्तांतरण हेतु शैक्षणिक स्टॉफ की बैंक खाता संबंधी समस्त जानकारी अनिवार्यतः अंकित करें।

8) बोर्ड मूल्यांकन कार्य के पूर्व स्थानीय परीक्षाओं के संपादन संबंधी कार्य हेतु कार्ययोजना सत्रारंभ से तैयार कर ली जावें एवं तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

9) प्रायोगिक/प्रायोजना/पर्यावरण :- छात्रों को व्यावहारिक ज्ञान हेतु पाठ्यक्रम के अनुरूप निर्धारित प्रायोगिक/प्रायोजना/पर्यावरण निर्धारित तिथि में अनिवार्यतः पूर्ण करें। कक्षा 10वीं एवं कक्षा 12वीं प्रायोगिक/प्रायोजना/पर्यावरण परीक्षाएँ माह जनवरी की अंत तक (संभावित तिथि 01/01/2027 से 20/01/2027) अनिवार्यतः समाप्त कर ली जावे एवं अंकों की प्रविष्टि की निर्धारित अंतिम तिथि 31/01/2027 तक अनिवार्य रूप से पोर्टल में करें। प्राचार्य स्वयं प्रायोगिक/प्रायोजना/पर्यावरण कक्षाओं की सतत मॉनीटरिंग करें।

पोर्टल लॉक करने के पूर्व अंकों का मिलान अनिवार्य रूप से किया जावें। तदपश्चात् पोर्टल लॉक करें। पोर्टल लॉक करने के पश्चात् संशोधन संभव नहीं होगा। परीक्षाफल घोषणा उपरांत किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं किया जावेगा।

नोट:- निर्धारित तिथि 31/01/2027 के पश्चात् ऑनलाईन अंक प्रविष्टि एवं संशोधन हेतु पोर्टल खोलने पर प्रतिदिवस प्रति संस्था 1,000/- रुपये (एक हजार रुपये) की दर से विलंब शुल्क ऑनलाईन भुगतान करने पर संबंधित संस्था का ऑनलाईन पोर्टल दो दिवस के लिये खोला जावेगा। विलंब शुल्क हेतु दिवस की गणना निर्धारित तिथि 31/01/2027 के बाद से की जावेगी। विलंब शुल्क किसी भी परिस्थिति में छात्र/छात्राओं से वसूल नहीं किया जावेगा।

10) पर्यावरण विषय का अध्ययन – अध्यापन – पर्यावरण विषय का अध्ययन/अध्यापन मण्डल द्वारा समस्त मान्यता प्राप्त संस्थाओं में करवाया जाना अनिवार्य है। पूर्व वर्षानुसार पर्यावरण विषय के पाठ्यक्रम एवं परीक्षाएँ संबंधी निर्देश यथावत् रहेंगे।

11) परीक्षा शुल्क एवं प्रायोगिक शुल्क में छूट – मण्डल की हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले निम्नलिखित छात्र/छात्राओं को केवल परीक्षा शुल्क एवं प्रायोगिक शुल्क में छूट दी गई है :-

(i) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के समस्त विद्यार्थी (पात्रतानुसार)।

- (II) अन्तर्राष्ट्रीय जम्बूरी में भाग लेने वाले छात्र/छात्राएँ ।
- (III) राष्ट्रपति एवं राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त स्काऊट गाईड ।
- (IV) बाल दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार प्राप्त छात्र/छात्राएँ ।
- (V) नक्सली हिंसा पीड़ित परिवार के छात्र/छात्राओं को ।
- (VI) केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक, रजत पदक एवं कांस्य पदक प्राप्त छात्र/छात्राएँ ।
- (VII) एन.सी.सी. कैंडेट, राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवक एवं जूनियर रेडक्रास के सदस्य जो नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हुये हैं ।
- (VIII) ट्रांसजेण्डर विद्यार्थियों हेतु प्रावधान – छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर द्वारा आयोजित होने वाले हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी स्कूल की परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले राज्य के ट्रांसजेण्डर्स परीक्षार्थियों (नियमित/स्वाध्यायी) को शिक्षा सत्र 2022–23 से आयोजित होने वाले हाई/हायर सेकण्डरी स्कूल परीक्षा में आवेदन शुल्क को छोड़कर शेष संपूर्ण परीक्षा शुल्क में छूट प्रदान की गयी है । (आदेश क्रमांक 4067/ट्रांसजेण्डर्स/प.शु.छू./2022–23 रायपुर दिनांक 11.07.2022 मण्डल की website :- www.cgbse.nic.in पर अपलोड है) ।
- (IX) दिव्यांग विद्यार्थियों हेतु प्रावधान – 40% से अधिक दिव्यांगता वाले कक्षा 10वीं एवं 12वीं नियमित एवं स्वाध्यायी विद्यार्थियों को परीक्षा आवेदन शुल्क को छोड़कर शेष संपूर्ण शुल्क में छूट प्रदान की गयी है । (आदेश 4061/दि.परी.सु./विद्यो. दिनांक 08.07.2022 तथा 01 दि.सुवि./22–23 रायपुर दिनांक 28.02.2023 मण्डल की website :- www.cgbse.nic.in पर अपलोड है) ।
- 12)** बोर्ड परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले छात्रों से आवश्यक अभिलेखों की छायाप्रतियां, फोटोग्राफ, प्रवेश के समय माह जुलाई में ही प्राप्त कर ली जावें । मण्डल को प्रेषण के पूर्व समस्त अभिलेख प्राचार्य द्वारा प्रमाणित होना अनिवार्य है ।
- 13)** नियमित परीक्षार्थियों हेतु एक शैक्षणिक सत्र में दो मुख्य परीक्षा का प्रावधान – छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर द्वारा हाईस्कूल (10वीं) तथा हायर सेकण्डरी (12वीं) की वार्षिक परीक्षा एक शैक्षणिक सत्र में दो बार प्रथम मुख्य परीक्षा एवं द्वितीय मुख्य परीक्षा आयोजित की जायेगी । प्रथम मुख्य परीक्षा संभवतः फरवरी–मार्च माह में तथा द्वितीय मुख्य परीक्षा संभवतः जून–जुलाई में आयोजित की जायेगी । तत्संबंध विस्तृत जानकारी मण्डल की website :- www.cgbse.nic.in पर अपलोड की जायेगी ।

- 14)** स्वाध्यायी रूप से सम्मिलित परीक्षार्थियों को अवसर – स्वाध्यायी रूप से सम्मिलित होने वाले छात्रों के लिये हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी सर्टिफिकेट परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिये दो वर्ष में चार अवसर दिया जाना है । शेष नियम/निर्देश स्वाध्यायी छात्रों के लिये पृथक से अग्रेषणकर्ता संस्थाओं को प्रेषित किये जायेंगे ।

नियमित अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों हेतु अवसर परीक्षा का लाभ – हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी प्रथम एवं द्वितीय मुख्य परीक्षा के अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों को स्वाध्यायी छात्र के रूप में समस्त अनुत्तीर्ण विषयों में अवसर परीक्षा के अंतर्गत मण्डल की आगामी परीक्षाओं में यथा आगामी सत्र 2028 की मुख्य परीक्षा एवं द्वितीय मुख्य परीक्षा में अवसर प्रदान किये जायेंगे ।

अवसर परीक्षा के अंतर्गत उत्तीर्ण विषयों के अंको को आगामी अवसर परीक्षा की अंकसूची में सम्मिलित किया जायेगा अर्थात् विद्यार्थी को केवल अनुत्तीर्ण विषय से ही आगामी अवसर परीक्षा में सम्मिलित होना होगा ।

- 15)** वर्ष 2026 की मुख्य परीक्षा में अनुत्तीर्ण छात्र/छात्रा द्वितीय मुख्य परीक्षा (वर्ष 2026) की परीक्षा में सम्मिलित नहीं होते है तो ऐसे छात्र/छात्रा नियमानुसार परीक्षा वर्ष 2027 की मुख्य परीक्षा/द्वितीय मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता रखते हैं ।
- 16)** मण्डल से नवीन मान्यता प्राप्त संस्थाओं के छात्रों को हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी परीक्षा में बैठने की पात्रता – मण्डल द्वारा जिन संस्थाओं को वर्ष 2027 की हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी परीक्षाओं की मान्यता दी जायेगी, वे सभी संस्थायें तत्काल अपनी संस्था में प्रवेशित छात्रों का मण्डल में नामांकन की प्रक्रिया समय-सीमा में पूर्ण करेगी । नामांकन पश्चात् ही संबंधित छात्र मण्डल की परीक्षाओं में सम्मिलित होने की पात्रता रखेंगे ।

जिन संस्थाओं ने वर्ष 2027 हेतु मण्डल में मान्यता का आवेदन प्रस्तुत किया है, किन्तु उन्हें मान्यता नहीं दी गयी है तो इन संस्थाओं के छात्रों को T.C. जारी कर निर्धारित तिथि तक मण्डल की मान्यता प्राप्त अन्य संस्थाओं में प्रवेश लेना अनिवार्य होगा तथा नामांकन की प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी, परन्तु मान्यता अमान्य संस्थाओं के छात्रों का नामांकन तभी किया जावेगा जब वे उस संस्था के गत वर्ष की कक्षा 9वीं/11वीं परीक्षा में प्रवेशित हो और प्रवेश सूची संबंधित संभागीय कार्यालय/रायपुर संभाग/मण्डल मुख्यालय में शुल्क सहित जमा की गयी हो ।

- 17)** परीक्षा केन्द्र – वर्ष 2027 के नवीन परीक्षा केन्द्र निर्धारण हेतु अथवा केन्द्र परिवर्तन हेतु समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण करते हुये जिला शिक्षा अधिकारी की अनुशंसा उपरांत आवेदन मण्डल कार्यालय में दिनांक 30.10.2026 तक जमा करें ।

नियमित छात्रों के परीक्षा केन्द्र मण्डल द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के अनुरूप एवं संवेदनशील क्षेत्रों की संस्थाओं के परीक्षा केन्द्र जिला व तहसील मुख्यालय में रखे जा सकते हैं ।

- 18)** अंकसूचियों का प्रेषण – मण्डल की समस्त अंकसूचियाँ मण्डल द्वारा संबंधित जिले की समन्वय संस्था के माध्यम से संस्था के प्राचार्यों को वितरित की जाती है ।

19) मण्डल की website :- www.cgbse.nic.in पर उपलब्ध अंकसूची सुधार, डुप्लीकेट अंकसूची, डुप्लीकेट माइग्रेशन सर्टिफिकेट, अंकसूची सत्यापन, ट्रांसलेशन सर्टिफिकेट तथा प्राप्त अंकसूची Update करने हेतु Online Portal <https://vidia.cgbse.nic.in/fms> के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं ।

परीक्षा वर्ष 2000 से अंकसूचियों का सत्यापन मण्डल की website :- www.cgbse.nic.in पर उपलब्ध प्रतिपण के माध्यम से कर सकते हैं ।

20) राज्य ओपन स्कूल द्वारा आयोजित माह अगस्त – सितंबर की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कक्षा 10वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को कक्षा 11वीं में अस्थायी रूप से प्रवेश दिया जा सकेगा । अस्थायी दिये गये छात्र/छात्राओं की जानकारी जिले के संभागीय कार्यालय/ मुख्यालय स्थित परीक्षा कक्ष में दिनांक 30/10/2026 तक सूची अनिवार्य रूप से जमा करें। तथा इनकी ग्राह्यता संबंधी कार्यवाही आगामी सत्र में अनिवार्य रूप से करावें । ऐसे छात्र/छात्राओं का ग्राह्यता (नामांकन क्रमांक) विशेष विलंब शुल्क के साथ जारी किया जावेगा ।

21) शैक्षणिक सत्र 2025–26 में जिन संस्थाओं में प्रवेशित कक्षा 09वीं एवं अन्य बोर्ड से आये हुये छात्र/छात्राओं द्वारा नामांकन/ग्राह्यता माध्यमिक शिक्षा मण्डल से नहीं कराया गया है तो विशेष विलंब के साथ ऐसे छात्र/छात्राओं के नामांकन/ग्राह्यता संबंधी कार्यवाही आगामी सत्र में की जावेगी।

22) शैक्षणिक सत्र 2026–27 हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी नियमित के परीक्षा आवेदन पत्रों के साथ संलग्न दस्तावेज एवं कक्षा 9वीं, कक्षा 10वीं एवं कक्षा 12वीं के चेकलिस्ट मिलान करने संबंधी निर्देश ।

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर द्वारा संचालित हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी परीक्षा के परीक्षा फार्म एवं चेकलिस्ट को जिले के समन्वय केन्द्रों से एवं जिला रायपुर के मण्डल मुख्यालय (परीक्षा कक्ष) से वितरण किया जावेगा । परीक्षा फार्म एवं चेकलिस्ट का सही तरह से मिलान कर कक्षा 10वीं के परीक्षा फार्म के साथ कक्षा 08वीं एवं 9वीं तथा कक्षा 12वीं के परीक्षा फार्म के साथ कक्षा 10वीं, एवं 11वीं की अंकसूचियों की सत्यापित छायाप्रति संलग्न कर अपने जिले से संबंधित संभागीय कार्यालय एवं रायपुर संभाग से संबंधित मण्डल मुख्यालय रायपुर स्थित परीक्षा कक्ष में जमा किया जावेगा । तिथि की सूचना समस्त मान्यता प्राप्त संस्थाओं के पोर्टल एवं SMS के माध्यम से दिया जावेगा ।

टीप :-

- (1) **SC/ST** परीक्षार्थियों के सूची के साथ जाति प्रमाण पत्र/आय प्रमाण पत्र/नॉमिनल रोल/शुल्क विवरण तथा निरस्त फार्म को पृथक से लिफाफा तैयार किया जावें ।
- (2) जाति/विशेष पिछड़ी जाति/माध्यम का अच्छी तरह मिलान कर संबंधित दस्तावेज संलग्न कर जमा करें ।
- (3) निर्धारित तिथि के पश्चात परीक्षा आवेदन फार्म मण्डल मुख्यालय रायपुर परीक्षा कक्ष एवं अपने जिले से संबंधित संभागीय कार्यालयों में विशेष विलंब शुल्क 2,000/- रुपये के साथ स्वीकार्य किये जायेंगे ।

प्रवेश पत्र एवं
चेकलिस्ट संबंधी
महत्वपूर्ण निर्देश

- 1) आपकी संस्था में उपलब्ध अभिलेख अनुसार छात्र/छात्राओं के नाम/पिता का नाम/माता का नाम/जन्मतिथि/माध्यम/विषय/वर्ग/लिंग/फोटो/नामांकन/संस्था का नाम का मिलान कर चेकलिस्ट में संशोधन की कार्यवाही सुनिश्चित करें। कक्षा 9वीं, 10वीं, एवं 12वीं की प्राप्त चेकलिस्ट में किये गये संशोधन अनिवार्य रूप से मण्डल कार्यालय में जमा करेंगे। संशोधन नहीं होने पर लिखित में जानकारी दें। चेकलिस्ट में संशोधन न करने की दशा में परीक्षाफल घोषणा उपरांत जारी की गई छात्र/छात्राओं की अंकसूचियों में संशोधन प्राप्त होने पर संशोधन की कार्यवाही नियमानुसार 400/- रुपये शुल्क के साथ किये जाने का प्रावधान है।
- 2) शैक्षणिक सत्र 2026-27 हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों के आपके संस्था में उपलब्ध अभिलेख (दस्तावेज) अनुसार छात्र/छात्राओं का पूर्ण नाम/पिता का नाम/माता का नाम/उपनाम/जन्मतिथि/माध्यम/विषय/वर्ग/लिंग/फोटो/नामांकन/अध्ययनरत् संस्था का नाम का मिलान उपरांत ही प्रवेश पत्र संबंधित परीक्षार्थियों को वितरित करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।
- 3) कक्षा 09वीं, कक्षा 10वीं तथा 12वीं की संशोधित चेकलिस्ट एवं जारी किये गये प्रवेश पत्र में यदि कोई भी त्रुटि हो तो लाल स्याही से गोला बनाकर स्पष्ट अक्षरों (CAPITAL) में प्रवेश पत्र एवं चेकलिस्ट वितरण तिथि से 10 दिवस के भीतर संशोधन कर जिले के संबंधित संभागीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, बिलासपुर/अंबिकापुर/जगदलपुर तथा राजनांदगांव एवं रायपुर संभाग का मण्डल मुख्यालय रायपुर से संशोधन हेतु कार्यवाही सुनिश्चित करें एवं नामांकन कार्ड मुद्रित (PRINT) होने के पश्चात् किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं किया जावेगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व स्वयं छात्र/अभिभावक/संस्था/संस्था प्रमुख का होगा। कृपया इसे भलि - भांति अंकित कर लें।
- 4) अपात्र परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र का वितरण कदापि न किया जावे तथा प्रवेश पत्र को निरस्त कर मण्डल मुख्यालय/जिले के संबंधित संभागीय कार्यालय में अनिवार्य रूप से जमा करना सुनिश्चित करें।
- 5) परीक्षा केन्द्र में माध्यम/विषय/फोटो संबंधी संशोधन मान्य नहीं किया जावेगा।
- 6) त्रुटिपूर्ण प्रवेश पत्र पर संबंधित संस्था द्वारा संशोधन नहीं कराये जाने की दशा में परीक्षा परिणाम घोषणा पश्चात् जारी किये जाने वाली अंकसूचियों में किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं किया जावेगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व स्वयं छात्र/अभिभावक/संस्था/संस्था प्रमुख का होगा। कृपया इसे भलि - भांति अंकित कर लें।

समस्त मान्यता प्राप्त
संस्थाओं के
प्राचार्य/केन्द्राध्यक्षों हेतु
आवश्यक निर्देश

- 1) प्रवेश पत्र जारी होने के पश्चात् परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश पत्र में अंकित विषय पर किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा, यदि किसी प्रकार से संशोधन कर परीक्षा में सम्मिलित कराये जाने की दशा में मूल विषय में अनुपस्थित **(ABS)** दर्शाकर परीक्षाफल घोषित किया जावेगा ।
- 2) संस्था प्राचार्य द्वारा इस आशय का घोषणा पत्र स्वयं भरकर आवंटित परीक्षा केन्द्राध्यक्ष को देना होगा, कि परीक्षार्थी का पूर्ण नाम/पिता का नाम/माता का नाम/उपनाम/जन्मतिथि/माध्यम/विषय/वर्ग/लिंग/फोटो/नामांकन/अध्ययनरत् संस्था का नाम मिलान उपरांत ही प्रवेश पत्र संबंधित परीक्षार्थियों को वितरित किये गये हैं । संबंधित केन्द्राध्यक्ष प्राचार्य से उक्ताशय का घोषणा पत्र लेना सुनिश्चित करें ।
- 3) जारी हुये प्रवेश पत्र एवं उपस्थिति पत्रक पर परीक्षार्थी का फोटो मुद्रित **(Print)** न होने अथवा त्रुटिपूर्ण फोटो अंकित होने की दशा में इसे तत्काल आपके जिले से संबंधित संभागीय कार्यालय तथा रायपुर संभाग के जिलों से संबंधित मण्डल मुख्यालय, रायपुर से संपर्क स्थापित कर अनिवार्य रूप से फोटो संशोधन कराना सुनिश्चित करें ।
- 4) प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर अध्ययनरत् संस्था द्वारा संशोधन नहीं कराये जाने की दशा में समस्त उत्तरदायित्व स्वयं छात्र/अभिभावक/संस्था प्रमुख का होगा ।
- 5) परीक्षार्थियों को लेखक दिये जाने संबंधी मण्डल कार्यालय द्वारा जारी शैक्षणिक सत्र 2026-27 परीक्षा संचालन हेतु केन्द्राध्यक्षों/सहायक केन्द्राध्यक्षों के लिये महत्वपूर्ण निर्देश पुस्तिका में दिये गये निर्देशानुसार स्वयंस्तर पर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें ।
- 6) नकल प्रकरण (अनुचित साधन) की मुख्य उत्तरपुस्तिका एवं वितरित द्वितीय मुख्य उत्तरपुस्तिकाओं का लिफाफा पृथक से तैयार कर जिले से संबंधित संभागीय कार्यालयों में एवं रायपुर संभाग के अंतर्गत आने वाले जिले का मण्डल मुख्यालय (परीक्षा कक्ष) रायपुर में जमा करना सुनिश्चित करें ।
- 7) मूल्यांकन केन्द्रों को नकल प्रकरणों (अनुचित साधन) की उत्तरपुस्तिकाएँ कदापि न भेजा जाय ।

- 8) परीक्षा केन्द्र पर अनुपस्थित (ABS) एवं नकल प्रकरणों (अनुचित साधन) की जानकारी मण्डल **Online Portal** में प्रविष्टी करना अनिवार्य होगा ।
- 9) परीक्षा केन्द्र पर विषय से संबंधित शिक्षकों को पर्यवेक्षक न बनाया जाये । परीक्षा केन्द्रों के आकस्मिक निरीक्षण के दौरान विषय से संबंधित शिक्षकों को पर्यवेक्षक ड्यूटी पर लगाया जाना पाया जाता है तो उस स्थिति में केन्द्र और केन्द्राध्यक्ष/सहायक केन्द्राध्यक्ष/पर्यवेक्षकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित किया जावेगा ।
- 10) परीक्षा केन्द्र में परीक्षार्थी द्वारा मुख्य उत्तरपुस्तिका/पूरक उत्तरपुस्तिका में अनुक्रमांक (अंकों/शब्दों में) तथा विषय तथा विषय कोड सही अंकित किया गया है या नहीं तथा उपस्थिति पत्रक में मुख्य उत्तरपुस्तिका/पूरक उत्तरपुस्तिका का सरल क्रमांक सही अंकित किया गया है या नहीं इसका पर्यवेक्षक द्वारा इसका विशेष ध्यान रखा जाना अनिवार्य होगा ।
- 11) उत्तरपुस्तिका पर परीक्षार्थी द्वारा त्रुटिपूर्ण अनुक्रमांक एवं विषय अंकित किया जाता है तो इस दशा में परीक्षार्थी का परीक्षाफल घोषित नहीं किया जावेगा, साथ ही संबंधित पर्यवेक्षक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित किया जावेगा ।
- 12) परीक्षा समाप्ति के पश्चात् उपस्थिति पत्रक जिले से संबंधित समन्वय केन्द्र/संभागीय कार्यालय तथा बोर्ड परीक्षाओं की चेकलिस्ट मण्डल मुख्यालय, रायपुर स्थित डाटा कक्ष में जमा करना अनिवार्य होगा ।

नोट:—उपरोक्त निर्देशों का समस्त संस्था प्राचार्य/परीक्षा केन्द्राध्यक्ष/उप केन्द्राध्यक्ष द्वारा अपने अधीनस्थ स्टॉफ को भली-भांति अंकित कराये ।

परीक्षा सत्र 2026-27 हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी परीक्षा नियमित/स्वाध्यायी परीक्षा के अपात्र एवं नियमित परीक्षार्थियों की 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति वाले परीक्षार्थियों की सूची भिजवाने बाबत् ।

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर द्वारा आयोजित परीक्षा वर्ष 2027 हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी नियमित/स्वाध्यायी के अपात्र एवं नियमित परीक्षार्थियों की 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति वाले परीक्षार्थियों की संस्था प्राचार्य से प्रमाणित सूची दिनांक 31.12.2026 तक अनिवार्य रूप से मण्डल मुख्यालय, रायपुर के परीक्षा कक्ष एवं अपने जिले से संबंधित संभागीय कार्यालय में e-mail के माध्यम से निम्नानुसार प्रारूप में भेजना सुनिश्चित करें :-

क्र	संस्था कोड	अनुक्रमांक/ आई. डी. क्रमांक	परीक्षार्थी का नाम	पिता का नाम

जिन संस्थाओं द्वारा अपात्र परीक्षार्थियों की सूची मण्डल कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई जाती है व मण्डल वेबसाइट पर अपात्र परीक्षार्थियों का प्रवेश पत्र जारी होकर परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित हो जाता है तो इसका समस्त उत्तरदायित्व संस्था प्राचार्य का होगा । इसे भलीभांति अंकित कर लेवें ।

नोट:-कक्षा 10वीं एवं 12वीं के 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति वाले परीक्षार्थियों को नियमित की पात्रता नहीं होगी । परीक्षा शुल्क के अंतर की राशि एवं घोषणा - पत्र प्राप्त होने के उपरांत स्वाध्यायी परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता रहेगी, जिसकी सूची संबंधित संस्था द्वारा दिनांक 08/01/2027 तक अपने जिले के संभागीय कार्यालय एवं केवल रायपुर संभाग के मण्डल मुख्यालय, रायपुर के परीक्षा कक्ष में ई-मेल अथवा उपस्थित होकर जमा करना सुनिश्चित करें । निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त होने पर विचार नहीं किया जावेगा । जिसका समस्त उत्तरदायित्व संस्था/संस्था प्राचार्य का होगा ।

परीक्षा कक्ष रायपुर एवं संभागीय कार्यालयों के e-mail id निम्नानुसार है :-

क्र	संभागीय कार्यालय का नाम	e-mail id
1	राजनांदगांव	rajnandgaon.cgbse@gmail.com
2	बस्तर	bastar.cgbse@gmail.com
3	बिलासपुर	bilaspur.cgbse@gmail.com
4	अंबिकापुर	surguja.cgbse@gmail.com
5	रायपुर परीक्षा कक्ष	exam.cgbse@gmail.com

सचिव 2/6/26
छ. ग. मा. शि. मण्डल,
रायपुर

- 1) प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर,
- 2) विशेष सहायक, मंत्रीजी, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर, अटल नगर,
- 3) सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
- 4) संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
- 5) समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़,
- 6) समस्त संयुक्त संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय, स्कूल शिक्षा विभाग (रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा, बस्तर)
- 7) समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (छ. ग.) अपने जिले के अधीनस्थ मान्यता प्राप्त संस्थाओं के प्राचार्य को निर्देशित करने हेतु प्रेषित ।
- 8) समस्त प्रथम श्रेणी अधिकारी/समस्त सहायक सचिव/समस्त सहायक प्राध्यापक छ. ग. मा. शि. मण्डल, रायपुर
- 9) समस्त मान्यता प्राप्त संस्थाओं के प्राचार्य की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
- 10) समस्त संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल (रायपुर, राजनांदगांव, बिलासपुर, सरगुजा, बस्तर)
- 11) प्रोग्रामर, डाटा कक्ष, समस्त मान्यता प्राप्त संस्थाओं के ऑनलाईन पोर्टल एवं मण्डल की website में Upload करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें ।

सचिव
छ. ग. मा. शि. मण्डल,
रायपुर
12/6/26